न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर राज0

पीठासीन अधिकारी	:	सुनीता नसवारिया, आर.जे.एस.
नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या	:	384/2018 रै.फौ
एफ.आई.आर. संख्या	:	15/2018 पीएस सदर डूंगरपुर
सीएनआर संख्या	:	RJDG020002882018

राजस्थान राज्य। --अभियोगी--

बनाम

शिवचरण पिता सुल्तानसिंह, उम्र 40 साल, निवासी बिलाहेडी की ढाणी, पुलिस थाना कोटकासिम जिला अलवर राज0

--अभियुक्त--

<u>अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भा.द.स. व धारा 134/187 एमवी एक्ट</u>

उपस्थित :-

1- अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री मोहम्मद जाहिद, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

--: निर्णय :-- दिनांक : 17-03-2026

01- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी प्रकाश पिता लाला ने उपस्थित थाना सदर डूंगरपुर होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 14-01-2018 को समय करीब 1 पीएम पर वह व रतनलाल, फुला, नाथु, कमलेश, घर पर से पैदल पैदल रोड के पास से होटल ग्रीन लेण्ड की तरफ जा रहे थे। होटल ग्रीनलेण्ड के पास एक ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 का चालक अपने ट्रेलर को बिछीवाडा की तरफ से ले जाने लगा कि खैरवाडा की तरफ से एक कंटेनर(ट्रक) नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 का चालक अपने कंटेनर को तेजगति, लापरवाही पूर्वक चलाकर लेकर आया और ट्रेलर को टक्कर मार दी जिससे ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 उनके उपर आ गिरा जिससे नाथु की मौके पर ही मौत हो गयी एवं ट्रक नंबर आरजे 09 जीए 9079 के चालक की भी मौत हो गयी। उसके एवं रतनलाल, फुला, कमलेश के शरीर पर चोटे आयी। सभी को मौके से राहगीर एवं उनके गांव के लोग प्राईवेट गाडियों से खैरवाडा ईलाज हेतु ले गये। जहां से उसे, फुला, कमलेश, रतनलाल को ईलाज हेतु डूंगरपुर लाये। रतलाल की दौराने ईलाज मौत हो गयी। ट्रक कंटेनर नंबर एचआर 55 डब्ल्यू 0689 का चालक मौके से भाग गया। कानुनी कार्यवाही करावे।...........इत्यादि।

02- उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर, डूंगरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2018 अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त शिवचरण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर के समक्ष पेश किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया। **कालान्तर मे पत्रावली अंतरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।**

03- अभियुक्त को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 एमवी एक्ट का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

04- अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू 1 प्रकाश पिता नारायण, पीडब्लयू 2 प्रकाश पिता लाला, पीडब्लयू 3 कमलेश, पीडब्ल्यू 4 डॉ. मोहम्मद ईरफान, पीडब्ल्यू 5 मावाराम, पीडब्ल्यू 6 फुला, पीडब्ल्यू 7 नारायणलाल पिता धनाजी, पीडब्लयू 8 हिरालाल, पीडब्लयू 9 नारायणनाथ, पीडब्लयू 10 राकेश, पीडब्ल्यू 11 तरूण, पीडब्ल्यू 12 ओमप्रकाश, पीडब्ल्यू 13 नारायणलाल पिता बंशीलाल, पीडब्ल्यू 14 सुरेन्द्र के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05- दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 फर्द पंचनामा लाश रतना, प्रदर्श पी-2 फर्द पंचनामा लाश नाथू, प्रदर्श पी-3 फर्द पंचनामा लाश मुकेश, प्रदर्श पी-4 फर्द सुपुर्दगी लाश मुकेश, प्रदर्श पी-5 नक्शा मौका, प्रदर्श पी-6 फर्द डिटेन वाहन, प्रदर्श पी-7 फर्द सुपुर्दगी लाश रतना, प्रदर्श पी-8 फर्द सुपुर्दगी लाश नाथू, प्रदर्श पी-9 रिपोर्ट, प्रदर्श पी-10 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी-11 चोट प्रतिवेदन आहत प्रकाश, प्रदर्श पी-12 आहत प्रकाश की एक्सरे, प्रदर्श पी-13 पुलिस बयान गवाह प्रकाश, प्रदर्श पी-14 चोट प्रतिवेदन आहत कमलेश, प्रदर्श पी-15 आहत कमलेश की एक्सरे, प्रदर्श पी-16 पुलिस बयान गवाह कमलेश, प्रदर्श पी-17 एमओ को तहरीर, प्रदर्श पी-18 पोस्टमार्टम रिपोर्ट रतना, प्रदर्श पी-19 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकेश, प्रदर्श पी-20 पोस्टमार्टम रिपोर्ट नाथु, प्रदर्श पी-21 एमओ को तहरीर, प्रदर्श पी-22 चोट प्रतिवेदन फुला, प्रदर्श पी-23 एमओ को तहरीर, प्रदर्श पी-24 पुलिस बयान गवाह फूला, प्रदर्श पी-25 फर्द जब्ती वाहन, प्रदर्श पी-26 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श पी-27 एमटीओ रिपोर्ट, प्रदर्श पी-28 फर्द सुपुर्दगी ट्रक, प्रदर्श पी-29 धारा 134 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्शित कराया।

06- अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना व झूंठा फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

07- बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया, सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

08- बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दू हैः-

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 14-01-2018 को समय करीब 1 पीएम पर मौजा पालवडा मे होटल ग्रीनलेण्ड के पास वाहन कंटेनर(ट्रक) नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापित कर बिछीवाडा की तरफ जा रहे वाहन ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 को टक्कर मार दी जिससे ट्रेलर रास्ते मे पैदल पैदल चल रहे आहतगण प्रकाश, रतनलाल, फुला, नाथु, कमलेश पर जा गिरा जिससे उनके चोटे कारित हुई तथा दुर्घटना में कारित चोटो से ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 के चालक मुकेश, नाथु व रतनलाल की मृत्यु कारित हुई तथा अभियुक्त ने आहतगण को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध न कराकर वाहन चालक के कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया ? इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.द.स. व 134/187 एमवी एक्ट कारित किया गया ?

यदि हॉ तो दण्ड ?''

09- इस प्रकार उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर आई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विशलेषण करे तो पीडब्ल्यू 01 प्रकाश पिता नारायण ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान से करीब 5 साल पहले की बात है। गॉव मोतली के ग्रीनलेण्ड होटल के सामने रतना, नाथू और मुकेश का एक्सीडेन्ट हुआ था, जिनकी लाश का पुलिस ने पंचनामा बनाया था। फर्द पंचनामा लाश रतना प्रदर्श पी-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नाथू की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व मुकेश की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुकेश की लाश राकेश को सुपुर्द की थी। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आयी थी और नक्षा मौका प्रदर्श पी-5 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने एक ट्रेलर को फर्द डिटेन किया था जो फर्द डिटेन प्रदर्श पी-6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। रतना की लाश उसे सुपुर्द की थी जिसकी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं एवं नाथू की लाश भी उसे सुपुर्द की थी जिसकी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-08 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कहा कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-1 से लगाकर प्रदर्श पी-6 तक में क्या लिखापढी की मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मेरे समस्त कागजों पर हस्ताक्षर थाने पर करवाए हो बल्कि हॉस्पीटल में करवाए थे। यह कहना सही है कि समस्त हस्ताक्षर कोरे कागजों पर करवाए थे।

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

10- <u>पीडब्ल्यू 02 प्रकाश पिता लाला</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। उस दिन वह, रतनलाल, नाथू, फुला, कमलेश सभी ट्रेलर गाडी में पत्थर भरने जा रहे थे कि ग्रीन लेण्ड होटल पहुँचे थे कि सामने से एक कन्टेनर वाहन आया और वे जिस ट्रेलर में थे उसको टक्कर मार दी। टक्कर से नाथू एवं रतनाराम की मृत्यु हुई थी एवं ट्रेलर के चालक की भी मृत्यु हो गयी थी। इस घटना की उसने पुलिस को दी थी जो प्रदर्श पी-9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी-10 है। उसे इलाज के लिए डूंगरपुर हॉस्पीटल में भर्ती किया था। पुलिस ने मेरी चोटों का मेडिकल कराया था जो प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके एक्सरे कराया था जो प्रदर्श पी-12 है। **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कहा कि** यह कहना सही है कि मै, रतनलाल, नाथू, फुला, कमलेश सभी पैदल-पैदल ग्रीन लेण्ड होटल की तरफ जा रहे हो उस समय ट्रेलर और कन्टेनर आपस में टकरा गए जिससे ट्रेलर हमारे उपर गिर गया। यह कहना गलत है कि एक्सीडेन्ट करने वाले कन्टेनर का नम्बर एचआर 55 डब्ल्यू 0689 हो। यह कहना सही है कि कन्टेनर के चालक ने कन्टेनर को बहुत तेज गतिं से व लापरवाही पूर्वक चलाकर ट्रेलर को टक्कर मार दी। पुलिस बयान प्रदर्श पी-13 का ए से बी भाग में कन्टेनर के नम्बर गवाह को पढ़कर सुनाये तो गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को नहीं लिखाये। यह कहना गलत है कि मैंने मुलजिम से राजीनामा कर लिया हो इसलिए उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। **जिरह** मे कहा कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-9 में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। मेरे केवल हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि मैं कन्टेनर के नम्बर व चालक को नही पहचानता हूँ। यह सही है कि मैं ट्रेलर में बैठा हुआ था।

11- <u>पीडब्ल्यू 03 कमलेश</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। उस दिन वह, रतनलाल, नाथू, फुला, प्रकाश सभी ट्रेलर गाडी में पत्थर भरने जा रहे थे कि ग्रीन लेण्ड होटल पहुँचे थे कि सामने से एक कन्टेनर वाहन आया और वे जिस ट्रेलर में थे उसको टक्कर मार दी। टक्कर से नाथू एवं रतनाराम की मृत्यु हुई थी एवं ट्रेलर के चालक की भी मृत्यु हो गयी थी। उसे इलाज के लिए डूंगरपुर हॉस्पीटल में भर्ती किया था। पुलिस ने मेरी चोटों का मेडिकल कराया था जो प्रदर्श पी-14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके एक्सरे कराया था जो प्रदर्श पी-15 है। **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कहा कि** यह कहना गलत है कि मै, रतनलाल, नाथू, फुला, प्रकाश सभी पैदल-पैदल ग्रीन लेण्ड होटल की तरफ जा रहे हो उस समय ट्रेलर और कन्टेनर आपस में टकरा गए जिससे ट्रेलर हमारे उपर गिर गया। यह कहना गलत है कि एक्सीडेन्ट करने वाले कन्टेनर का नम्बर एचआर 55 डब्ल्यू 0689 हो। यह कहना सही है कि

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

कन्टेनर के चालक ने कन्टेनर को बहुत तेज गति से व लापरवाही पूर्वक चलाकर ट्रेलर को टक्कर मार दी। पुलिस बयान प्रदर्श पी-16 का ए से बी भाग गवाह को पढकर सुनाये तो गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को नहीं लिखवाये। पुलिस बयान प्रदर्श पी-16 का सी से डी भाग में कन्टेनर के नम्बर गवाह को पढ़कर सुनाये तो गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को नहीं लिखाये। यह कहना गलत है कि मैंने मुलजिम से राजीनामा कर लिया हो इसलिए उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। **जिरह** में कहा कि यह कहना सही है कि किसकी गलती से एक्सीडेन्ट हुआ मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि कन्टेनर धीरे-धीरे आ रहा था। हम सभी ट्रेलर में बैठे हुए थे। इसलिए बाहर क्या हुआ मुझे नहीं पता। कन्टेनर कौन चला रहा था मुझे नहीं पता।

12- पीडब्ल्यू 04 डॉ. मोहम्मद ईरफान के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि दिनांक 14.1.18 को जिला चिकित्सालय डूंगरपुर में मेडीकल ज्युरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसके साथ डॉक्टर सुरेन्द्र जैन भी कार्यरत थे जिनकी वर्तमान मे मृत्यु हो चुकी है जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार पुलिस थाना सदर की तहरीर प्रपी 17 पर मृतक रतना पुत्र धना बोडात निवासी पालवडा के शव का पोस्टमार्टम कर पीएम रिपोर्ट बनायी थी जो प्रपी 18 है जिस पर ए से बी डॉक्टर सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है व सी से डी मृत्यु का कारण अंकित है जिसके अनुसार मृतक के सिर मे आयी चोट से कोमा मे जाने से मृत्यु हुई थी। मृतक के सिर के पीछले भाग पर कुचला हुआ घाव होकर सिर की हडडी मे फ्रेक्चर थे जो गंभीर प्रकृति के चोट थी।

उसी दिन मृतक मुकेश पुत्र देवीलाल डोली निवासी जाली तहसील आसींद जिला भीलवाडा के शव का पोस्टमार्टम कर पीएम रिपोर्ट बनायी थी जो प्रपी 19 है जिस पर भी ए से बी डॉक्टर सुरेन्द्र के हस्ताक्षर व सी से डी मृत्यु का कारण अंकित है जिसके अनुसार मृतक के सिर मे आयी चोट से कोमा मे जाने से मृत्यु हुई थी। मृतक के सिर के पीछे भाग पर कुचला हुआ घाव होकर सिर की हडडी मे फ्रेक्चर थे जो गंभीर प्रकृति की चोट थी।

उसी दिन मृतक नाथु पुत्र भीमा बोडात निवासी पालवडा थाना सदर जिला डूंगरपुर के शव का पोस्टमार्टम कर पीएम रिपोर्ट बनायी थी जो प्रपी 20 है जिस पर भी ए से बी डॉक्टर सुरेन्द्र के हस्ताक्षर व सी से डी मृत्यु का कारण अंकित है जिसके अनुसार मृतक के सिर मे आयी चोट से कोमा मे जाने से मृत्यु हुई थी। मृतक के सिर के पेरोईटल भाग पर कुचला हुआ घाव होकर सिर की हडडी मे फ्रेक्चर थे जो गंभीर प्रकृति की चोट थी। इसके अतिरिक्त दाये पैर मे घुटने के नीचे जटिल फ्रेक्चर मौजूद था।

दिनांक 16.01.2018 को आहत प्रकाश पुत्र लाला मीण निवासी पालवडा के शरीर पर आयी चोटो का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रपी 11 बनाया जिस पर आहत के व

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

डॉक्टर सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है। आहत का पहचान चिन्ह कॉलम संख्या 6 मे अंकित है। परीक्षण के दौरान आहत प्रकाश के निम्न चोटे पायी गयी- 01. आहत के कुल्हो के भाग पर दर्द था जिसका एक्सरे कराया था। चोट संख्या 01 की प्रकृति के लिए एक्सरे कराये गये थे। एक्सरे फिल्म संख्या 612 मे कोई अस्थिभंग नहीं था इसलिए चोट संख्या 01 साधारण प्रकृति की पायी। सभी चोटे कुंदालय से कारित होकर परीक्षण से 3 से 7 दिन के भीतर की थी। आहत की एक्सरे फिल्म मय कवर प्रपी 12 है जिस पर डॉक्टर सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है।

दिनांक 16.01.2018 को आहत कमलेश पुत्र सीताराम निवासी पालवडा के शरीर पर आयी चोटो का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रपी 14 बनाया जिस पर आहत के व डॉक्टर सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है। आहत का पहचान चिन्ह कॉलम संख्या 6 में अंकित है। परीक्षण के दौरान आहत कमलेश के निम्न चोटे पायी गयी- 01. बाये कुल्हे पर छुने पर दर्द था। 02. बायी कंधा अस्थि पर छुने पर दर्द था। 03. गर्दन पर दर्द की शिकायत बतायी थी। उक्त तीनो चोटो की बाहर से कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चोट संख्या 1 व 2 की प्रकृति के लिए एक्सरे कराये गये थे। एक्सरे फिल्म सखं्या 606 मे कोई अस्थि भंग नहीं था इसलिए चोट संख्या 1 व 3 साधारण प्रकृति की पायी। सभी चोटे कुंदालय से कारित होकर परीक्षण से 1 स 3 दिन के भीतर की थी। आहत की एक्सरे फिल्म मय कवर प्रपी 15 है जिस पर डॉ. सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है। उक्त दोनो आहत के मेडिकल कराने बाबत तहरीर प्रपी 21 है जिस पर डॉक्टर सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है।

दिनांक 25.1.18 को आहत फुला पुत्र भीमा बोडात निवासी पालवडा के शरीर पर आयी चोटो का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रपी 22 बनाया था जिस पर आहत के व उसके हस्ताक्षर है। आहत का पहचान चिन्ह कॉलम संख्या 6 मे अंकित है। परीक्षण के दौरान आहतके निम्न चोटे पायी गयी- 01. दाहिनी आंख पर नीलगु के साथ अंदर की कंजक्टटाइवा मे खुन के थक्के मौजूद थे। 02. छाती के बायी तरफ 7 गुणा 1 सेमी की रगड थी। 03. दाये हाथ के पंजे पर 2 गुणा 1 सेमी की रगड थी। 04. दाये घुटने पर 3 गुणा 1 सेमी की रगड थी। उक्त सभी चोटे साधारण प्रकृति की पायी गयी। सभी चोटे कुंदालय से कारित होकर परीक्षण से 1 से 3 सप्ताह के भीतर की थी। आहत के मेडिकल हेतु तहरीर प्रपी 23 है। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि प्रपी 18, 19 व 20 काफी उंचाई से ठोस धरातल पर सिर के बल गिरे तो ऐसी चोटे आना संभव है। यह सही है कि प्रपी 11, 14 व 22 में वर्णित चोटें आहत यदि दौडते हुए नीचे गिर जाए तो ऐसी चोटें आना संभव है। यह सही है कि प्रपी 11 व 14 मैने नही बनायी। यह सही है कि पोस्टमार्टम भी मैने नहीं किया।

13- <u>पीडब्ल्यू 05 मावाराम</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान से करीब 5 वर्ष पहले भुवाली हाईवे पर रत्ना, नाथू, मुकेश का

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गयी थी। वह हॉस्पीटल गया था वहां पुलिस ने नाथू की लाश का प्रपी 2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि मै मौके पर नहीं था। यह सही है कि एक्सीडेंट कब, कैसे व किस वाहन से हुआ मुझे नहीं पता। प्रदर्श पी 2 पर क्या लिखा पढी की थी मुझे नहीं पता, मेरे तो सिर्फ थाने पर हस्ताक्षर करवाये थे।

14- पीडब्ल्यू 06 फुला बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान से करीब 05 वर्ष पहले की बात है। दिन में करीब 01 बजे वह, रतनलाल, कमलेश सभी पैदल पैदल ग्रीनलेंड होटल के पास से होकर जा रहे थे। उस समय एक ट्रेलर ने आकर उनको टक्कर मार दी। जिससे रतना, नाथू, मुकेश की मृत्यु हो गई थी तथा उसे चोटें आई थी। ट्रेलर के नंबर क्या थे उसे पता नहीं। एक्सीडेंट कैसे हुआ था उसे पता नहीं। उसे हॉस्पीटल लेकर गया था व उसका ईलाज करवाया था। उसकी चोटो का मेडिकल करवाया था जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 22 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कहा कि** यह कहना गलत है कि मैंने देखा हो कि ट्रेलर नंबर आरजे 9 जीए 9079 के चालक ने ट्रेलर को बिछीवाडा तरफ ले जाने लगा हो उसी समय खेरवाडा तरफ से एक कंटेनर नंबर एसआर 55 डब्ल्यू 0689 के चालक ने कंटेनर को तेज गति, गफलत लापरवाही से चलाकर आकर ट्रेलर नंबर आरजे 9 जीए 9079 को टक्कर मार दी हो जिससे उक्त ट्रेलर हमारे उपर गिर गया हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 24 का ए से बी भाग गवाह को पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिम से राजीनामा कर लिया हो इस कारण उनको बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हूं। **जिरह** में कहा कि यह सह है कि घटना कारित करने वाले ट्रेलर के नंबर मुझे नही पता ना ही चालक का नाम पता है व घटना किस वाहन से कारित हुई थी यह भी मुझे नहीं पता। घटना कैसे घटी मुझे नहीं पता।

15- पीडब्ल्यू 07 नारायणलाल पिता धनाजी के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वर्ष 2018 मे उसके गांव के नाथु एवं उसके भाई रत्ना एवं उसके साथ उसके गांव के प्रकाश व फुला, कमलेश सभी अपने घर से पैदल पैदल ग्रीन लेण्ड होटल की तरफ गये थे जहां एक कंटेनर व एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। इसमे से एक ट्रक रतना व नाथु के उपर गिर गया जिससे रतना व नाथु व ट्रक ड्राईवर की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने रतना की लाश का पंचनामा प्रपी 1 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नाथु की लाश का पंचनामा प्रपी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। ट्रक ड्राईवर मुकेश की लाश का पंचनामा प्रपी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। रतना की लाश वारिसानो को सुपुर्द की थी जिसकी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रपी 7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नाथु की लाश वारिसान को

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

सुपुर्द की थी। फर्द सुपुर्दगी लश प्रपी 8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कहा कि** यह गलत है कि पुलिस ने मौके पर आकर के नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 बनाया हो। यह सही है कि नक्शा मौका प्रपी 5 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। यह गलत है कि पुलिस ने ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 को डिटेन किया हो। फर्द डिटेन ट्रेलर पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। यह गलत है कि मैने मुलजिमान से राजीनामा कर लिया हो इस कारण उसे बचाने के लिए झूठे बयान दिये हो। **जिरह** मे कहा कि यह सही है कि मेरे चार-पांच कोरे कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। किस बात के लिए कराये थे वह मुझे नहीं पता। क्या घटना घटी वह मुझे नहीं पता। मेरे सामने पुलिस वालो ने कोई मौका नहीं देखा था।

16- <u>पीडब्ल्यू 08 हिरालाल</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वर्ष 2018 मे उसके गांव के नाथु एवं उसके भाई रत्ना एवं उसके साथ उसके गांव के प्रकाश व फुला, कमलेश सभी अपने घर से पैदल पैदल ग्रीन लेण्ड होटल की तरफ गये थे जहां एक कंटेनर व एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। इसमे से एक ट्रक रतना व नाथु के उपर गिर गया जिससे रतना व नाथु व ट्रक ड्राईवर की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने रतना की लाश का पंचनामा प्रपी 1 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नाथु की लाश का पंचनामा प्रपी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। ट्रक ड्राईवर मुकेश की लाश का पंचनामा प्रपी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। रतना की लाश वारिसानो को सुपुर्द की थी जिसकी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रपी 7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नाथु की लाश वारिसान को सुपुर्द की थी। फर्द सुपुर्दगी लश प्रपी 8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कहा कि** यह गलत है कि पुलिस ने मौके पर आकर के नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 बनाया हो। यह सही है कि नक्शा मौका प्रपी 5 पर मेरे हस्ताक्षर है। यह गलत है कि मैने मुलजिमान से राजीनामा कर लिया हो इस कारण उसे बचाने के लिए झूठे बयान दिये हो। **जिरह** मे कहा कि यह सही है कि मेरे चार-पांच कोरे कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। किस बात के लिए कराये थे वह मुझे नहीं पता। क्या घटना घटी वह मुझे नहीं पता। मेरे सामने पुलिस वालो ने कोई मौका नहीं देखा था।

17- <u>पीडब्ल्यू 09 नारायणनाथ</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 15.01.2018 को पुलिस थाना सदर में हैड कानि के पद पर तैनात था। उसदिन प्रकरण संख्या 15/2018 अपराध धारा 279, 337, 304 ए भादसं में अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्रसिंह थानाधिकारी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन ट्रक कंटेनर नंबर एचआर 55 डब्ल्यू 0689 को वजह सबुत जब्त किया जिसकी फर्द

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

जप्ती प्रदर्श पी 25 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती की कार्यवाही के समय गवाह के रूप में मैं तथा नारायणलाल हैड कानि भी उपस्थित थे। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि फर्द जब्ती प्रपी 25 थाने पर बनायी थी। यह मेरी जानकारी मे नहीं है कि उक्त वाहन को थाने पर कौन चलाकर लाया था। जब्त वाहन किस कंपनी का था यह मेरी जानकारी मे नही है।

18- पीडब्ल्यू 10 राकेश के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान से 6 साल पहले उसके रिश्तेदार मुकेश पिता देवीलाल ढोली की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, सूचना पर मैं अपने परिवारजन के साथ अस्पताल गया था, पुलिस ने मृतक का पंचनामा बनाया था, फर्द पंचायतनामा प्रपी 03 है, जिस पर जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर अंकित है। फर्द सुपूर्दगी लाश प्रपी 04 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि प्रपी 3 मोर्चरी के बाहर बनाया था। यह सही है कि मै पोस्टमार्टम रूम मे नहीं गया था। यह गलत है कि प्रपी 3 व 4 में क्या लिखापढी की मुझे नहीं पता हो।

19- पीडब्ल्यू 11 तरूण के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह ट्रक नम्बर एचआर 55 डब्ल्यु 0689 का पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर की हैसीयत से उक्त वाहन से कब, क्या घटना हुई थी, उसे नहीं पता। उसने उक्त ट्रक को दुर्घटना के संबंध में डूंगरपुर न्यायालय से सुपूर्दगी पर प्राप्त किया था। उक्त ट्रक को दुर्घटना के समय कौन चला रहा था, उसे नहीं पता। वह कंपनी में नौकरी करता था, उसमें करीब 100 ट्रक थे, किस ट्रक पर कौन चालक था, उसे जानकारी नहीं है। वह अभियुक्त शिवचरण को नहीं जानता है। पुलिस ने नोटिस दिया हो तो उसे जानकारी नहीं है। नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रपी 26 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर एवं सी से डी उसका जवाब है। **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कहा कि** यह कहना गलत है कि घटना दिनांक 14.01.2018 को ट्रक नम्बर एचआर 55 डब्ल्यु 0689 को चालक शिवचरण चला रहा हो। यह कहना गलत है कि दुर्घटना शिवचरण की लापरवाही से हुई हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्त शिवचरण ट्रक पर ड्राईवर नियुक्त होने से उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं। **जिरह** में कहा कि यह कहना सही है कि प्रपी 26 के सी से डी भाग में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि वक्त घटना ट्रक का चालक कौन था, मुझे नही पता।

20- पीडब्ल्यू 12 ओमप्रकाश के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 16.1.18 को एसआई एमटीओ के पद पर डूंगरपुर में तैनात था। उस दिन थानाधिकारी पीएस सदर की तहरीर पर प्रकरण संख्या 15/18 अपराध धारा 279, 337, 304ए भादस मे जब्तशुदा वाहनो का मेकेनिकल

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

मुआयना उसके द्वारा किया गया। पुलिस थाना सदर के आहते मे खडे ट्रक कंटेनर बोडी एचआर 55 डब्लयूओ 689 यह वाहन चलाने योग्य नहीं था, क्योकि स्अेयरिंग, फुटब्रेक, क्रूच, एक्सीलेटर कार्य नहीं कर रहे थे। सामने का शिशा, हेडलाईट, इंडीकेटर लाईट, आगे का केबिन-शो, मडगार्ड, आगे का इंजन फाउडेशन, आगे का पुरा शो क्षतिग्रस्त था। यह वाहन जब्तशुदा था। पुलिस चौकी देवल मे खडे ववाहन ट्रक ट्रेलर टाटा आरजे 09 जीए 9079 ट्रक डिटेनशुदा का निरीक्षण किया गया तो स्टेयरिंग, फुटब्रेक, क्रूच, एक्सीलेटर कार्य नही कर रहे थे। सामने का शिशा, हेडलाईट, इंडीकेटर लाईट, आगे का केबिन शो, मडगार्ड, आगे का इंजन फाउडेशन, आगे का पुरा शो क्षतिग्रस्त था। दोनो वाहन चलाने योग्य नहीं थे। एमटीओ रिपोर्ट प्रपी 27 है जिस पर उसका प्रतिवेदन व उसके हस्ताक्षर है।

21- पीडब्ल्यू 13 नारायणलाल पिता बंशीलाल के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 15.01.2018 को पुलिस थाना सदर में हैड कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने प्रकरण संख्या 15/18 जुर्म धारा 279, 337, 304 ए भादसं में ट्रक नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 उसके व हैड कानि नारायणनाथ नंबर 507 के समक्ष जरिये फर्द जब्त किया था, फर्द ज़ब्ती कंटेनर प्रपी 25 है, जिसके सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर है। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि प्रपी 25 थाने पर बनायी थी। यह सही है कि प्रपी 25 मे कोई स्वतंत्र मौतबीर नहीं बनाया था।

22- पीडब्ल्यू 14 सुरेन्द्रसिंह के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 14.1.2018 को पीएस सदर मे थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज दुर्घटना से घायल रतना, नाथु, मुकेश की दौराने ईलाज मृत्यु हो जाने से उसकी लाश मोर्चरी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर मे रखी होने की सूचना पर वह थाने से रवाना हो सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर पहुंचा जहां पर प्रार्थी प्रकाश ने कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की जो प्रपी 9 है जिस पर प्रार्थी व उसके हस्ताक्षर है व उसका पृष्ठांकन है। मृतकगण रतना, नाथू, मुकेश का पीएम करवाने हेतु एमओ को तहरीर दी जो प्रपी 17 है। मृतकगण रतना, नाथू, मुकेश के शवो का पंचनामा उसके द्वारा बनाया गया। फर्द पंचायतनामा लाश रतना प्रपी 1, फर्द पंचायतनामा लाश नाथू प्रपी 2, फर्द पंचायतनामा लाश मुकेश प्रपी 3 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तीनो की लाश अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनो को सुपुर्द की। फर्द सुपुर्दगी लाश रतना प्रपी 7, फर्द सुपुर्दगी लाश नाथू प्रपी 8, फर्द सुपुर्दगी लाश मुकेश प्रपी 9 है। बाद पंचनामे की कार्यवाही के तहत थाने पर पहुंचा व प्रार्थी प्रकाश की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 15/18 अपराध धारा 279, 337, 304 ए भादस मे दर्ज कर अनुसंधान उसने स्वयं के जिम्मे लिया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रपी 5 बनाया। प्रार्थी

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

प्रकाश, गवाह लालसिंह, कमलेश के बयान उनके कहे अनुसार लिये। आहतगण प्रकाश व कमलेश की चोटो का मुआयना करवाने हेतु चिकित्साधिकारी को तहरीर दी जो प्रपी 21 है। उक्त तहरीर की पालना मे आहतगण कमलेश, व प्रकाश के चोट प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो चोट प्रतिवेदन प्रपी 11 व 14 है। एक्सरे प्लेट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रपी 15 व 12 है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 को डिटेन किया जिसकी फर्द डिटेन प्रपी 6 है। दुर्घटना कारित वाहन ट्रक/कंटेनर नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 को जरिये फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रपी 25 है। डिटेन ट्रक को उसके स्वामी को सुपुर्द की जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रपी 28 है। डिटेनशुदा व जब्तशुदा वाहनो की छायाप्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मृतकगण रतना, मुकेश, नाथू की पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रपी 18 से 20 है। जब्त व डिटेनशुदा वाहनो का मैकेनिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की जो प्रपी 27 है। जब्त वाहन के स्वामी तरूण कुमार को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया। नोटिस प्रपी 26 है। दुर्घटना कारित वाहन चालक शिवचरण को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया जो नोटिस प्रपी 29 है। आहत धुला के चोटे आयी जिसका मेडिकल करवाया जिसका चोट प्रतिवेदन प्रपी 22 है। संपूर्ण तफतीश से अभियुक्त शिवचरण के विरूद्ध धारा 279, 337, 304 ए भादस व 134/187 एमवी एक्ट मे अपराध प्रमाणित मान आरोप पत्र उसने न्यायालय मे पेश किया। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि प्रपी 9 रिपोर्ट मे चालक का नाम नहीं लिखा हुआ है। यह सही हे कि मैने पत्रावली मे पीडित पक्ष के लोगो के ही बयान लिये हो अन्य कोई स्वतंत्र मौतबीर के बयान नहीं लिये अजखुद कहा कि कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हुए। यह सही है कि नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया था। यह गलत है कि दुर्घटना ग्रस्त वाहन मौके पर नहीं हो बल्कि रोड के साईड मे पडे हुए थे। यह गलत है कि फर्द जब्ती प्रपी 25 व फर्द डिटेन प्रपी 6 थाने पर बनायी हो बल्कि मौके पर बनायी थी। घटनास्थाल पर हम दोपहर को साढे तीन बजे के आसपास पहुंचे थे। मौके पर लगभग 3 घण्टे रूके थे। यह गलत है कि प्रपी 5, 6 व 25 मेरी हस्तकलमी नहीं हो।

23- इस प्रकार पत्रावली पर आयी उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध मे विवेचन, विश्लेषण एवं मुल्यांकन करे तो सर्वप्रथम परिवादी प्रकाश जो कि प्रकरण में आहत भी है जिसने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया है कि दिनांक 14-01-2018 को समय करीब 1 पीएम पर वह, रतनलाल, फुला, नाथु, कमलेश सभी पैदल पैदल रोड के पास से होटल ग्रीन लेण्ड की तरफ जा रहे थे कि होटल ग्रीन लेण्ड के पास एक ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 का चालक अपने ट्रेलर को बिछीवाडा की तरफ ले जा रहा था कि खैरवाडा की तरफ से एक ट्रक कंटेनर नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 के चालक ने अपने ट्रक कंटेनर को तेजगति, लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रेलकर को टक्कर

17/03/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

मार दी जिससे ट्रेलर नंबर आरजे 09 जीए 9079 उनके उपर गिरा जिससे नाथु की मौके पर ही मौत हो गयी व ट्रेलक के चालक की मौके पर मौत हो गयी व उसके, रतनलाल, फुला व कमलेश के शरीर पर चोट आयी जिन्हे मौके से राहगीरो व उनके गांव वालो ने प्राईवेट गाडियो मे डाल खैरवाडा ईलाज हेतु ले गये जहां दौराने ईलाज रतनलाल की भी मौत हो गयी व ट्रक कंटेनर नबंर एचआर 55 डब्ल्यू 0689 का चालक मौके से भाग गया।

24- इस संदर्भ में प्रकरण का परिवादी तथा आहत गवाह प्रकाश पिता लाला न्यायालय के समक्ष गवाह पीडब्लयू 2 के रूप में परिक्षित हुआ है जो कि अभियोजन पक्ष का पक्षद्रोही गवाह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण मे कथित किया कि लगभग 5-6 साल पहले वह, रतनलाल, नाथू, फुला, कमलेश सभी ट्रेलर गाडी मे पत्थर भरने जा रहे थे कि ग्रीन लेण्ड होटल के पास सामने से एक कंटेनर वाहन आया व वे जिस ट्रेलर मे थे उसको टक्कर मार दी जिसके बाद क्या हुआ उसे नही पता। गवाह ने आगे मुख्य परीक्षा मे ही बताया कि एक्सीडेंट करने वाले कंटेनर के नंबर उसे नहीं पता व कंटेनर का चालक कौन था यह भी उसे नहीं पता। पक्षद्रोही होकर अभियोजन पक्ष की जिरह मे बताता है कि यह गलत है कि एक्सीडेंट करने वाले कंटेनर के चालक ने कंटेनर को बहुत तेज गति से व लापरवाही पूर्वक चलाकर ट्रेलर को टककर मार दी। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रपी 13 का ए से बी भाग मे कंटेनर के नंबर पुलिस को लिखाने वाली बात लिखाने से इन्कार किया है तथा अधिवक्ता अभियुक्त के प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया कि रिपोर्ट प्रपी 9 मे क्या लिखा हुआ है उसे नही पता। उसके केवल हस्ताक्षर है। वह कंटेनर के नंबर व चालक को नहीं पहचानता है।

इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा मे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर तथा वाहन चालक के संबंध में लेशमात्र भी समर्थनकारी कथन नहीं किये है तथा वाहन के नंबर व वाहन चालक के बारे मे किसी प्रकार से नहीं बताया है तथा इसके प्रतिपरीक्षण से भी अभियुक्त व दुर्घटना कारित वाहन की पहचान के संबंध मे कथन नहीं आये है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है।

25- गवाह पीडब्लयू 3 कमलेश जो भी प्रकरण का आहत है ने भी परिवादी प्रकाश की साक्ष्य के समान ही कथन करते हुए मुख्य परीक्षण मे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन व वाहन चालक की पहचान के संबंध मे कथन नही करते हुए बताता है कि एक्सीडेंट करने वाले कंटेनर के नंबर उसे नहीं पता व कंटेनर का चालक कौन था यह भी उसे नही पता। यह गवाह भी अभियोजन का पक्षद्रोही साक्षी है जिसने अभियोजन अधिकारी की जिरह मे बताया कि यह गलत है कि वह, रतनलाल, नाथु, फुला, प्रकाश सभी पैदल पैदल ग्रीन लेण्ड होटल की तरफ जा रहे हो उस समय ट्रेलर और कंटेनर आपस मे टकरा गये जिससे ट्रेलर उनके पर गिर गया।

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

गवाह ने इस तथ्य को भी गलत बताया कि एक्सीडेंट करने वाले कंटेनर का नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 हो। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रपी 16 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर तथा उक्त वाहन के चालक के रूप मे अभियुक्त की पहचान के संबंध मे कथन नहीं आकर अभियोजन कहानी को इस गवाह की साक्ष्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

26- गवाह पीडब्लयू 6 फूला जो भी प्रकरण का आहत होकर अभियोजन का पक्षद्रोही साक्षी है जिसने मुख्य परीक्षण मे स्वीकार किया कि ट्रेलर के नंबर क्या थे उसे नही पता व एक्सीडेंट कैसे हुआ था यह भी उसे नही पता। पक्षद्रोही होकर अभियोजन अधिकारी की जिरह मे गवाह इस तथ्य को गलत बताता है कि उसने देखा हो कि ट्रेलर नंबर आरजे 9 जीए 9079 के चालक ने ट्रेलर को बिछीवाडा तरफ ले जाने लगा हो उसी समय खेरवाडा तरफ से एक कंटेनर नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 के चालक ने कंटेनर को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर ट्रेलर नंबर आरजे 9 जीए 9079 को टक्कर मार दी हो जिससे उक्त ट्रेलर उनके उपर गिर गया हो। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रपी 24 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त के प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया कि घटना कारित करने वाले ट्रेलर के नंबर उसे नही पता ना ही चालक का नाम पता है व घटना किस वाहन से कारित हुई यह भी उसे नहीं पता। इस प्रकार इस आहत की साक्ष्य से भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन तथा दुर्घटना कारित वाहन चालक के रूप मे अभियुक्त की पहचान साबित नहीं हुई है।

27- गवाह पीडब्लयू 1 प्रकाश पिता नारायण जो कि फर्द पंचनामा लाश रतना, नाथू, मुकेश क्रमशः प्रदर्श पी 1, 2 व 3, फर्द सुपुर्दगी लाश मुकेश प्रदर्श पी 4, नक्शा मौका प्रदर्श पी 5, फर्द डिटेन वाहन प्रदर्श पी 6, फर्द सुपुर्दगी लाश रतना प्रदर्श पी 7, फर्द सुपुर्दगी लाश नाथु प्रदर्श पी 8 का गवाह है जो अपने प्रतिपरीक्षण मे कहता है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 1 लगायत 6 तक मे क्या लिखापढी की उसे नहीं पता। यह भी सही है कि समस्त हस्ताक्षर कोरे कागजो पर कराये थे। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी इसके द्वारा मुख्य परीक्षण मे प्रदर्शित करायी गयी फर्दात की ताईद नहीं हो पायी है।

28- गवाह पीडब्लयू 7 नारायणलाल पिता धनाजी व पीडब्लयू 8 हिरालाल जो कि फर्द पंचनामा लाश रतना प्रदर्श पी 1, फर्द पंचनामा लाश नाथु प्रदर्श पी 2, फर्द पंचनामा लाश मुकेश प्रदर्श पी 3, तना की लाश की सुपुर्दगी प्रदर्श पी 7, नाथु की लाश की सुपुर्दगी प्रदर्श पी 8 के गवाह हैं जो दोनो अभियोजन के पक्षद्रोही साक्षी है जिन्होने अभियोजन अधिकारी की जिरह मे इस तथ्य को गलत बताया कि पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 बनाया हो। यह गलत है कि पुलिस ने ट्रेलर नबंर आरजे 09 जीए 9079 को डिटेन किया हो।

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

उक्त दोनो ही गवाह अधिवक्ता अभियुक्त के प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार करते है कि उनके चार-पांच कोरे कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे, किस बात के लिए कराये थे यह उन्हे पता नहीं। क्या घटना घटी वह उन्हे पता नही। उनके सामने पुलिस वाले ने कोई मौका नही देखा। इस प्रकार उपरोक्त दोनो गवाहान की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होकर अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न हुआ है।

29- गवाह पीडब्लयू 9 नारायणनाथ जो कि फर्द जब्ती वाहन ट्रक कंटेनर नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 प्रदर्श पी 25 का गवाह है जो प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार करता है कि फर्द जब्ती प्रपी 25 थाने पर बनायी थी। गवाह ने इस तथ्य की जानकारी नहीं होना बताया कि उक्त वाहन को थाने पर कौन चलाकर लाया व जब्त वाहन किस कंपनी का था यह भी उसकी जानकारी मे नहीं है। गवाह पीडब्लयू 13 नारायणलाल पिता बंशीलाल जो भी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 25 का गवाह है जो कि अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह मे स्वीकार किया कि प्रपी 25 जब्ती थाने पर बनायी थी। इस प्रकार इन गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी व फर्द जब्ती प्रदर्श पी 25 के संबंध मे ताईद नहीं हुई है। गवाह पीडब्लयू 10 राकेश जो कि फर्द पंचायतनामा लाश मुकेश प्रदर्श पी 3, व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 4 का गवाह है जो कि औपचारिक साक्ष्य देता है।

30- गवाह पीडब्लयू 11 तरूण जो कि ट्रक नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 का पॉवर ऑफ एटोर्नी हॉल्डर है जो मुख्य परीक्षण मे बताता है कि उक्त वाहन से कब, क्या घटना हुई उसे नही पता तथा वह अभियुक्त शिवचरण को नहीं जानता है तथा पुलिस ने नोटिस दिया हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह गवाह अभियोजन का पक्षद्रोही साक्षी रहा है जो अभियोजन अधिकारी की जिरह मे इस तथ्य को गलत बताया कि घटना दिनांक 14-01-2018 को ट्रक नंबर एचआर 55 डब्लयू 0689 को चालक शिवचरण चला रहा हो तथा यह भी गलत है कि दुर्घटना शिवचरण् की लापरवाही से हुई हो। अधिवक्ता अभियुक्त के प्रतिपरीक्षण मे भी गवाह स्वीकार करता है कि प्रपी 26 धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के सी से डी भाग मे क्या लिखा है उसे नही पता व वक्त घटना ट्रक का चालक कौन था यह भी उसे नहीं पता। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में किसी भी प्रकार की पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं आयी है।

31- गवाह पीडब्लयू 5 मावाराम फर्द पंचनामा लाश नाथू का गवाह है जो जिरह मे स्वीकार करता है कि वह मौके पर नही था व एक्सीडेंट कब, कैसे व किस वाहन से हुआ से नही पता व प्रदर्श पी 2 पंचनामा लाश पर क्या लिखापढी की थी उसे नही पता उसके तो सिर्फ हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से फर्द प्रदर्श पी 2 पंचनामा लाश नाथु की फर्द की ताईद नहीं हुई है।

17/03/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

32- गवाह पीडब्लयू 4 डॉ. मोहम्मद ईरफान जो कि चिकित्सकीय साक्ष्य है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा मे मृतकगण रतना, मुकेश, नाथु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की व आहतगण प्रकाश, कमलेश, फुला के चोटो का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन तैयार करने की औपचारिक साक्ष्य दी है व प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 18, 19 व 20 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे कारित चोट उंचाई से ठोस धरातल पर सिर के बल गिरे तो आना संभव है व यह भी सही है कि प्रदर्श पी 11, 14 व 22 चोट प्रतिवेदन मे वर्णित चोटे आहत यदि दौडते हुए नीचे गिर जाये तो आना संभव है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी आहतगण को कारित चोटो के संबंध में संदेह की स्थिति पैदा हुई है।

33- गवाह पीडब्लयू 14 सुरेन्द्र जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जो मुख्य परीक्षण मे प्रकरण के अनुसंधान करने के संबंध में व अपने द्वारा की गयी प्रकरण मे कार्यवाही की ताईद के संबंध में साक्ष्य देता है तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त शिवचरण के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 304 ए भादस व धारा 134/187 एमवी एक्ट मे अपराध प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय मे पेश करने की साक्ष्य देता है।

34- इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर है कि किसी भी गवाह ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के रूप मे अभियुक्त की युक्तियुक्त पहचान के संबंध मे किसी भी प्रकार के कथन नहीं किये है तथा परिक्षित गवाहान ने अपने द्वारा प्रदर्शित करवाये गयी फर्दात की ताईद के संबंध में भी संदेहजनक साक्ष्य दी है। अतः न्यायालय के समक्ष दुर्घटना कारित करने वाले वाहन व उक्त वाहन के चालक के रूप मे अभियुक्त की पहचान साबित नही हो पायी है। अतः जहां तक उतावलेपन व लापरवाही का प्रश्न है तो जहां यह तथ्य ही साबित नहीं कि अभियुक्त के द्वारा वक्त घटना वाहन को चलाकर दुर्घटना कारित की गई तो किसी लापरवाही व उतावलेपन के साथ उसने वाहन को चलाया, के संबंध में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य का विश्लेषण करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

35- अतः उपरोक्त विवेचन से अभियोजन अभियुक्त शिवचरण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त उस पर आरोपित अपराध में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

36- अतः अभियुक्त शिवचरण पिता सुल्तानसिंह, उम्र 40 साल, निवासी बिलाहेडी की ढाणी, पुलिस थाना कोटकासिम जिला अलवर राज0 को अंतर्गत धारा 279, 304 ए

17/03/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एमवी एक्ट के अपराध में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

37- अभियुक्त के पूर्व के उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत प्रतिभू व बंधपत्र दायित्वमुक्त किये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को सुपूर्दगी पर दिया हुआ है, जो सुपूर्दगीदार के पास ही रहे, बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन उसका सुपूर्दगीनामा/जमानतनामा स्वतः निरस्त समझा जावें। प्रकरण में यदि कोई मालखाना शेष हो तो उसके नियमानुसार निस्तारण बाबत संबंधित एसएचओ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

17/03/26

(सुनीता नसवारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर।

38- उक्त निर्णय आज दिनांक 17-03-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर के बाद सुनाया गया।

17/03/26

(सुनीता नसवारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

HARENDRA PAL SINGH CHUNDAWAT
Steno Gr.II "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by HARENDRA PAL SINGH CHUNDAWAT
Location: CJM COURT DUNGARPUR
Date: 2026.03.18 16:13:14 +0530